

फॉर्म संख्या :

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

पंजीकरण की तिथि: / /

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण फार्म

क्या लाभ चाहिए :	किस योजना से लाभ चाहिए :
जिले का नाम* :	ब्लाक का नाम* :
गाँव का नाम* :	किसान का मोबाइल नं :
किसान का पूरा नाम* :	पिता / पति का पूरा नाम* :
लिंग* (✓) : पुरुष <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/>	अल्पसंख्यक समुदाय (✓) : हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
जाति* (✓) : सामान्य <input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति <input type="checkbox"/>	अ0 जन जाति <input type="checkbox"/> पिछड़ी जाति <input type="checkbox"/>
कुल खेती कितनी है (हे0 में) :	खतौनी नं0

चाही गई वस्तु/ लाभ का विवरण :

(1) बीज :

क्रम सं0	किस फसल का बीज चाहिए	कितने क्षेत्रफल में बोना है (हे0 में)	कितने किलो बीज चाहिए	अन्य विवरण

(2) कृषि रक्षा :

कितने कुंतल की बखारी चाहिए :

कौन सा कृषि रक्षा उपकरण चाहिए :

(अ) बखारी -

(आ) कृषि रक्षा उपकरण-

(इ) कृषि रक्षा रसायन -

क्रम सं0	क्या बीमारी है	कितने क्षेत्रफल में है	कौन सी दवा चाहिए	कितनी दवा चाहिए	अन्य विवरण

(3) अन्य :

वस्तु का नाम	कितने क्षेत्रफल के लिए चाहिए (हे0)	कितनी चाहिए	अन्य विवरण
जिंक सल्फेट			
माइक्रोन्यूट्रेंट			
जिप्सम			
स्प्रिंकलर सेट			
HDPE पाइप			
अन्य			

(4) कौन सा कृषि यन्त्र चाहिए :

(5) समस्याग्रस्त भूमि कैसी है (✓) ऊसर

बंजर

बीहड़

दियारा

जलमग्न

(6) क्या आप मजदूरी करना चाहते हैं : हाँ

नहीं

बचत खाते का विवरण : बैंक का नाम :	<input type="text"/>	बैंक शाखा :	<input type="text"/>
खाता संख्या :	<input type="text"/>	आई0 एफ0 एस0 सी0 संख्या :	<input type="text"/>
किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण : बैंक का नाम :	<input type="text"/>	बैंक शाखा :	<input type="text"/>
खाता संख्या :	<input type="text"/>		
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि पंजीकरण फार्म में अंकित विवरण सही है।			
कृषक/लाभार्थी का अंगूठा निशान/हस्ताक्षर		पंजीकरण फार्म जमा करने का स्थान	फॉर्म प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व नाम

फॉर्म संख्या :

आज दिनांक ----- को श्री ----- निवासी -----

मोबाइल नंबर ----- का पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त किया।

अभिलेख स्थिति (✓)-खतौनी (छायाप्रति) : प्राप्त अप्राप्त पासबुक (छायाप्रति) : प्राप्त अप्राप्त

वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक (छायाप्रति) : प्राप्त अप्राप्त

आवश्यक अभिलेख -

(अ) पंजीकरण हेतु नीचे लिखे 3 कागजों की फोटोकॉपी अवश्य लगायें :

(1) खतौनी

(2) वोटर कार्ड / राशन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट में से कोई एक, अभिलेख संख्या

(3) पासबुक का पहला पन्ना , जिसपर खाताधारक का विवरण हो

बिना उक्त आवश्यक अभिलेखों के पंजीकरण अपूर्ण रहेगा।

सामान्य निर्देश -

- योजना का लाभ अनुदानित वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर होगा।
- लाभार्थियों का चयन शासन की नीति के अनुसार कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
- किसी विवाद की दशा में अंतिम निर्णय का अधिकार कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश में निहित होगा।
- यदि फोन या वेबसाइट के माध्यम से, बिना आवश्यक अभिलेखों के आवेदन किया गया है तो उक्त आवश्यक अभिलेख, अपने ब्लॉक के बीज भण्डार या जिले के उप कृषि निदेशक के कार्यालय में स्थापित "लाभार्थी पंजीकरण केन्द्र" पर एक सप्ताह के भीतर प्राप्त करा दें।
- योजना की विस्तृत जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर : 1800 200 1050 अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

ऑफिस इस्तेमाल हेतु

1. पंजीकरण फार्म जमा करने की तारीख :
2. पंजीकरण फार्म जमा करने का स्थान :
3. कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में आवेदक का फोटो उपलब्ध है या नहीं : हाँ नहीं
4. कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में आवेदक का अंगूठा निशानी उपलब्ध है या नहीं : हाँ नहीं
5. आवश्यक अभिलेख प्राप्त का स्टेटस :
 - खतौनी हाँ नहीं खतौनी संख्या
 - वोटर कार्ड / राशन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट अभिलेख का नाम : अभिलेख संख्या :
 - पासबुक हाँ नहीं
6. अन्य विवरण
7. कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का पंजीकरण नंबर

कंप्यूटरीकृत प्रणाली में फार्म फीड करने वाले कर्मचारी का नाम, दिनांक और हस्ताक्षर

आवश्यक अभिलेख - पंजीकरण हेतु नीचे लिखे 3 कागजों की फोटोकॉपी अवश्य लगायें।

बिना निम्न आवश्यक अभिलेखों के पंजीकरण अपूर्ण रहेगा :-

(1) खतौनी (2) वोटर कार्ड / राशन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट में से कोई एक

(3) पासबुक का पहला पन्ना , जिसपर खाताधारक का विवरण हो